No. S17924

सत्यमेव जयते

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण–पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या S000465

वर्ष 2017-2018

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि MOTHER CHANDRA FOUNDATION

Address - REGD. OFFICE - LOK NAGAR (KUTIA PAR), MALHALCHAK, P.O + P.S - JEHANABAD JEHANABAD BIHAR 804408

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ/हुई ।

आज तारीख 10 मास Oct वर्ष 2017 को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

[illegible]

महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना।

" मदर चन्द्रा फाउण्डेशन "

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– " मदर चन्द्रा फाउण्डेशन "
2. प्रधान कार्यालय :– इस संस्था का प्रधान कार्यालय– लोक नगर (कुटिया पर) मल्लहचक, पो0+थाना– जहानाबाद, जिला– जहानाबाद पिन कोड– 804408 (बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।
3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :–

1. संस्था द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, मोबाईल मरम्मति, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।
2. संस्था द्वारा समाज के निरक्षरता को दूर करने के लिए शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा विद्यालय, आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, प्रौढ शिक्षा, सर्व शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, अनौपचारिक शिक्षा,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना जिसमें निःशुल्क भोजन, पुस्तक, शिक्षा, आवास का उत्तम प्रबंध कराना तथा संस्था द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने हेतु उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना ।
3. संस्था द्वारा समाज के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों,असहाय महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासियों, अनाथों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
4. संस्था द्वारा महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुड़िया, आचार, मुरवा, जैली, जैम आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।
5. संस्था द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, महिला शक्तिकरण, बालवाड़ी, आगनवाड़ी स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना ।
6. संस्था द्वारा निःसहाय महिलाओं एवं पूरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना माइक्रो फिनाइन्श के तहत शुक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम संचालन करना ।

Satish Kumar. सरोज कुमार शर्मा

7. संस्था द्वारा महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।
8. संस्था द्वारा विकलांगों, अल्पसंख्यकों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना । सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करना तथा ऋण प्राप्त कर कार्यक्रम संचालन एवं सम्पादन करना ।
9. समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्त दान शिविर, टीकाकरण
10. असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु अवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, नेत्र चिकित्सा, एम्बुलेंश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा । विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना ।
11. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना ।
12. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, कम लागत के शौचालय, यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना ।
13. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना ।
14. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना । राहत कार्यो में सहयोग करना ।
15. समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे बाल-विवाह, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना । भीक्षाटन उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना ।
16. संस्था द्वारा युवक युवतियों को कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्क्रमों का संचालन, हार्ड वेयर, साफटवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।
17. संस्था द्वारा कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, वर्मी खाद, मशरूम एवं मखाना की खेती, जलछाजन, जलसंचयन, आदि उपलब्ध कराना । फसल बीमा, पशु बीमा एवं अन्य बीमा की जानकारी एवं प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करना तथा बंजर भूमि का निवारण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना । औषधीय, सुगंधी पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।
18. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना । कलाकरों को प्रोत्साहित कराना । संस्था द्वारा वन्य जीव, पशु-पक्षी एवं लावारिश पशु के सरंक्षण हेतु प्रयास करेंगी तथा देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना ।
19. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना । ....

सरोज कुमार शर्मा

Subodh Kumar

मिताम मिश्रा

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा पद एवं स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	6
1	श्री सतीश कुमार पिता-श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	लखीसराय मलाठी, जहानाबाद जिला- जहानाबाद	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री सरोज कुमार शर्मा पिता- राधा वल्लभ शर्मा	हिन्दुस्तान मेडिकल के पीछे, नया टोला जहानाबाद पो0+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद	समाज सेवा	सचिव	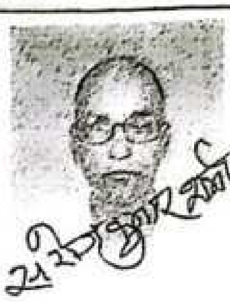
3	श्री संजय कुमार पिता-श्री योगेन्द्र शर्मा	ग्राम- गोपालपुर पो0- जामुक थाना- परस बिगहा गोपालपुर जिला- जहानाबाद	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	श्रीमती गार्गी कुमारी पति- राजेश कुमार	सूर्य विहार कॉलोनी बरटांड, धनबाद पो0- सी0एम0आर0 आई0 जिला- धनबाद (झारखण्ड)	समाज सेवा	सदस्य	

1	2	3	4	5	6
5	श्रीमती रंजना शर्मा पति-श्री राघवेन्द्र कुमार शर्मा	सूरदासपुर मोदनगंज अरवल पो0+जिला- अरवल	समाज सेवा	सदस्य	
6	श्री सनोज कुमार पिता- सुदामा प्रसाद	ग्रामः-कोरमॉ पो0- कोसडीहरा थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	समाज सेवा	सदस्य	
7	श्रीमती चन्दा देवी पति-श्री उमेश प्रसाद	उत्तरी दौलतपुर राजाबाजार जहानाबाद जिला- जहानाबाद	समाज सेवा	सदस्य	

सरोज कुमार शर्मा

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, वर्त्तमान के स्मृति -पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आंकांक्षी है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	स्वहस्ताक्षरित फोटो	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	श्री सतीश कुमार पिता-श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	लखीसराय मलाठी, जहानाबाद जिला- जहानाबाद	समाज सेवा	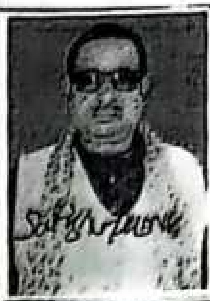	Satish Kumar
2	श्री सरोज कुमार शर्मा पिता- राधा वल्लभ शर्मा	हिन्दुस्तान मेडिकल के पीछे, नया टोला जहानाबाद पो0+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद	समाज सेवा	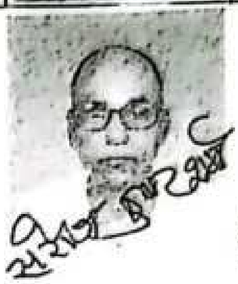	सरोज कुमार शर्मा
3	श्री संजय कुमार पिता-श्री योगेन्द्र शर्मा	ग्राम- गोपालपुर पो0- जामुक थाना- परस बिगहा गोपालपुर जिला- जहानाबाद	समाज सेवा		संजय कुमार
4	श्रीमती गार्गी कुमारी पति- राजेश कुमार	सूर्य विहार कॉलोनी बरटांड, धनबाद पो0- सी0एम0आर0 आई0 जिला- धनबाद (झारखण्ड)	समाज सेवा		गार्गी कुमारी

मिलान किया

सरोज कुमार शर्मा

1	2	3	4	5	6
5	श्रीमती रंजना शर्मा पति–श्री राघवेन्द्र कुमार शर्मा	सूरदासपुर मोदनगंज अरवल पो0+जिला– अरवल	समाज सेवा		रंजना शर्मा
6	श्री सनोज कुमार पिता– सुदामा प्रसाद	ग्रामः–कोरमी पो0– कोसडीहरा थाना– परसबिगहा जिला– जहानाबाद	समाज सेवा		सनोज
7	श्रीमती चन्दा देवी पति–श्री उमेश प्रसाद	उत्तरी दौलतपुर राजाबाजार जहानाबाद जिला– जहानाबाद	समाज सेवा		चन्दा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक– 01 से लेकर 07 तक के सभी व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें मैं जानता एवं पहचानता हूँ ।

हस्ताक्षर : सरोज कुमार शर्मा

नाम :

मुहर

ATTESTED
ARBIND KUMAR
NOTARY PATNA (BIHAR)

सरोज कुमार शर्मा

GOVT. OF BIHAR
NOTARY

" मदर चन्द्रा फाउण्डेशन "

की

नियमावली

1. **संस्था का नाम** :- " मदर चन्द्रा फाउण्डेशन "
2. **परिभाषा**
   - क- संस्था से अभिप्राय है :- " मदर चन्द्रा फाउण्डेशन "
   - ख- समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
   - ग- पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
   - घ- वर्ष से अभिप्राय है :- 01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।
   - ड- एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

3- **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करते हो वे इस संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उन्हें विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 101/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4. **सदस्यता से विमुक्ति :-**

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

- क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
- ख- पागल या मृत्यु होने पर ।
- ग- समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
- घ- लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
- ड- बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
- च- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

- क- कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे ।
- ख- कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।
- ग- कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा । निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।
- घ- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है । लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

सरोज कुमार शर्मा

Satish Kumar

सिताराम मिश्रा

6. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ड- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

ज- आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/- रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

झ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

क- संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख- संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

क- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

ग- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

घ- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

मिलान किया Satishkumar. सतीश कुमार शर्मा

16. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. **कानूनी कार्रवाई -**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी तथा संस्था द्वारा सरकारी गैर सरकारी बैंको से लिया ऋण का दायित्व संस्था का होगा ।

19. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-**

क- संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा- 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख- आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग- विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Satish Kumar — अध्यक्ष

संजय कुमार — कोषाध्यक्ष

सरोज कुमार शर्मा — सचिव

16.1.18

9. बैठक :-

क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

10. बैठक की सूचना :-

क- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

घ- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ङ- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

11. प्रार्थित बैठक

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

12. कोरम (गणपूर्ति)

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

13. आय का श्रोत :-

क- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख- सरकारी, गैर सरकारी, दान, ऋण, अनुदान एवं सहायता ।

14. निधि का अंकेक्षण :-

क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

ख- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. कोष का संचालन :-

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा

मिलान किया

Satish Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

N 189134

बिहार BIHAR

क्रम संख्या 242 तिथि 6-11-2017 मूल्य 200 शीट संख्या 4

क्रेता का नाम एवं पता ...

रमेश प्रसाद, मुद्रांक विक्रेता
ला० नं० 11/77 समाहरणालय, पटना

अभिप्रमाणित प्रति

16.1.18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

N 189135

बिहार BIHAR

क्रम संख्या 24259 तिथि 6.11.2017 शीट संख्या........

क्रेता का नाम एवं पता..........

रमेश प्रसाद मुद्रांक विक्रेता

अ० नं० 11/77 समाहरणालय, पटना

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

N 189136

बिहार BIHAR

17 OCT 2017

कम संख्या 9 .... तिथि .... मूल्य .... शीट संख्या ....

क्रेता का नाम एवं पता ....

रमेश प्रसाद, मुद्रांक विक्रेता

ला० नं० 11/77 समाहरणालय, पटना

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

N 189137

बिहार BIHAR

क्रम संख्या....[illegible]........ शीट संख्या........

क्रेता का नाम एवं पता..

रमेश प्रसाद, मुद्रांक विक्रेता

ला० नं० 11/77 समाहरणालय, पटना

№ S17924

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण–पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या S000465

वर्ष 2017-2018

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि MOTHER CHANDRA FOUNDATION

Address - REGD. OFFICE - LOK NAGAR (KUTIA PAR), MALHALCHAK, P.O + P.S

- JEHANABAD JEHANABAD BIHAR 804408

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ/हुई ।

आज तारीख 10 मास Oct वर्ष 2017 को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना।

ESTD:- 2017 Reg No. S000465

MOTHER CHANDRA FOUNDATION

(Under act 21, 1860)
Loknagar (Kuttiya par) Mallachak
P.O+PS- JEHANABAD (BIHAR) PIN-804408

Ref no:- mc/m/admin/43/06/25-26 Date 17-जून-25

<u>पदमुक्ति की स्वीकृति</u>

दिनांक: 18 जून 2025

प्रति,

श्री सतीश कुमार

निवासी – लखीसराय, पोस्ट – मालथी,

थाना – घोसी, जिला – जहानाबाद, बिहार

विषय: अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की स्वीकृति

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक **17 जून 2025** को अध्यक्ष पद से स्वास्थ्य कारणों के चलते सौंपे गए त्यागपत्र को संस्था की कार्यकारिणी द्वारा दिनांक **18 जून 2025** को विचारोपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संस्था की ओर से आपके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान, नेतृत्व व सेवाओं के लिए हार्दिक आभार प्रकट किया जाता है। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुखद भविष्य की कामना करते हैं।

साथ ही, संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब **श्री रौशन कुमार**, पिता – श्री अजीत शर्मा, ग्राम – सरेया, पोस्ट – सिकंदरपुर, थाना – शकुराबाद, जिला – जहानाबाद (बिहार) को सौंपी जाती है।

संस्था को आशा है कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहेगा।

सरोज कुमार शर्मा

सचिव

मदर चंद्रा फाउंडेशन

वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद, बिहार

ESTD:- 2017

Reg No. S000465

MOTHER CHANDRA FOUNDATION

(Under act 21, 1860)

Loknagar (Kuttiya par) Mallachak

P.O+PS- JEHANABAD (BIHAR) PIN-804408

Ref no:- MC/IMAdmin/44/06/25-26 Date 18 जून 25

त्यागपत्र

दिनांक: 18 जून 2025

सेवा में,

अध्यक्ष,

मदर चंद्रा फाउंडेशन,

लोक नगर, जहानाबाद, बिहार।

विषय: सचिव पद से त्यागपत्र।

महोदय,

मैं, **सरोज कुमार**, पिता – स्व. राधावलभ शर्मा, निवासी – वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद, बिहार, **मदर चंद्रा फाउंडेशन** में सचिव पद पर कार्यरत हूँ।

स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं अपने पद की जिम्मेदारियों को उचित रूप से निभा पाने में असमर्थ हूँ।

अतः मैं दिनांक **18 जून 2025** से **सचिव पद** से अपना **त्यागपत्र** देता हूँ। साथ ही, मैं यह घोषणा करता हूँ कि सचिव पद की समस्त जिम्मेदारियाँ एवं दायित्व **श्री संतोष कुमार**, पिता – **सरोज कुमार शर्मा**, निवासी – वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद, बिहार को सौंप रहा हूँ। कृपया उनके नाम पर सचिव पद की पुष्टि एवं मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

इस त्यागपत्र के उपरांत मेरा **मदर चंद्रा फाउंडेशन** से कोई लेना-देना नहीं रहेगा।

आपके सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

सरोज कुमार शर्मा

सरोज कुमार

पिता – स्व. राधावलभ शर्मा

निवासी – वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद, बिहार

मोबाइल: - 9931820010

ESTD:- 2017 Reg No. S000465

MOTHER CHANDRA FOUNDATION

(Under act 21, 1860)
Loknagar (Kuttiya par) Mallachak
P.O+PS- JEHANABAD (BIHAR) PIN-804408

Ref no:- mc/ADM/Admin/45/06/25-26 Date 19 जून 25

पदमुक्ति की स्वीकृति

दिनांक: 19 जून 2025

प्रति,

श्री सरोज कुमार

पिता – स्व. राधावलभ शर्मा

निवासी – वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद, बिहार

विषय: सचिव पद से इस्तीफे की स्वीकृति

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक **18 जून 2025** को सचिव पद से दिए गए इस्तीफे को संस्था की कार्यकारिणी द्वारा दिनांक **19 जून 2025** को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य कारणों से दिए गए आपके त्यागपत्र को **मदर चंद्रा फाउंडेशन** द्वारा स्वीकार किया गया है।

संस्था आपके द्वारा दिए गए योगदान एवं सेवाओं के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती है और आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

साथ ही, संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **श्री संतोष कुमार**, पिता – श्री सरोज कुमार शर्मा, निवासी – वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद, बिहार को **नवीन सचिव** के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा संस्था को भविष्य में भी बनी रहेगी।

Raushan Kr

अध्यक्ष

मदर चंद्रा फाउंडेशन

वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद, बिहार

ESTD:- 2017 Reg No. S000465

MOTHER CHANDRA FOUNDATION

(Under act 21, 1860)
Loknagar (Kuttiya par) Mallachak
P.O+PS- JEHANABAD (BIHAR) PIN-804408

Ref no: m.c/f.a/admin/46/06/25-26 Date: 20 जून 25

<u>मदर चंद्रा फाउंडेशन -संस्था</u>

<u>रजिस्ट्रेशन स० S000465 दिनांक 10.10.2017 ई0 (एक्ट21,1860) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत</u>

<u>प्रस्ताव पत्र</u>

दिनांक **20 जून 2025** को मदर चंद्रा फाउंडेशन की आम बैठक संस्था के सचिव **श्री संतोष कुमार** की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संस्था के **स्थापित एवं मानक उद्देश्यों की पूर्ति** हेतु कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में सर्वसम्मति से यह **प्रस्ताव पारित** किया गया कि मदर चंद्रा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित तीनों स्कूलों:-

1. द विंग्स फाउंडेशन अकादमी 2. द विंग्स स्टेप बाई स्टेप स्कूल 3. द विंग्स स्टेप अकादमी

का सफल संचालन हो रहा है। अतः संस्था के समस्त वित्तीय कार्यों और लेखा-जोखा हेतु पंजाब नेशनल बैंक, जहानाबाद में एक नया बैंक खाता खोला जाए।

इस खाते के संचालन हेतु निम्नलिखित दो अधिकृत व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक होंगे:

1. श्री संतोष कुमार – (सचिव)
2. श्री रौशन कुमार – (अध्यक्ष)

उक्त दोनों अधिकृत व्यक्तियों को बैंक के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने, लेन-देन करने, एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है।

साक्ष्यस्वरूप, संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया एवं इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर :-

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
नाम: रौशन कुमार	नाम: संतोष कुमार	नाम: संजय कुमार
मदर चन्द्रा फाउन्डेशन Raushankumar अध्यक्ष	मदर चन्द्रा फाउन्डेशन संतोष कुमार शर्मा सचिव	संजय कुमार

ESTD:- 2017

Reg No. S000465

MOTHER CHANDRA FOUNDATION

(Under act 21, 1860)
Loknagar (Kuttiya par) Mallachak
P.O+PS- JEHANABAD (BIHAR) PIN-804408

Ref no: mc/101/Admin/42/06/25-26

Date: 20 जून 25

प्रस्ताव पत्र

दिनांक: 20 जून 2025

आज दिनांक **20 जून 2025** को मदर चंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट की आम सभा की बैठक ट्रस्ट के सचिव **श्री संतोष कुमार** की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रस्ताव विषय:

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि मदर चंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के वित्तीय गतिविधियों के सुचारु संचालन, लेखा-जोखा, ऋण एवं चुकता (बकाया वापसी), शैक्षणिक व सामाजिक परियोजनाओं हेतु एक नया बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक, जहानाबाद शाखा में खोला जाए।

खाता संचालन हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित होंगे:

1. श्री संतोष कुमार – सचिव
2. श्री रौशन कुमार – अध्यक्ष

इस खाते के संचालन हेतु दोनों पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। उन्हें यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे खाता खोलने, संचालन करने, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने, बैंक से पत्राचार करने एवं किसी भी प्रकार की बैंकिंग प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अधिकृत हैं।
यह प्रस्ताव ट्रस्ट के सभी सदस्यों द्वारा सहमति के साथ पारित किया गया है और इसके समर्थन में अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर:

रौशन कुमार	**संतोष कुमार**	**संजय कुमार**
(अध्यक्ष)	(सचिव)	(कोषाध्यक्ष)
हस्ताक्षर: Raushan kr	हस्ताक्षर: संतोष कुमार शर्मा	हस्ताक्षर: संजय कुमार

ESTD:- 2017 Reg No. S000465

MOTHER CHANDRA FOUNDATION

(Under act 21, 1860)
Loknagar (Kuttiya par) Mallachak
P.O+PS- JEHANABAD (BIHAR) PIN-804408

Ref no: MCF/admin/42/06/25-26 Date 17 जून 25

त्यागपत्र

दिनांक: 17 जून 2025

सेवा में,

सचिव,
मदर चंद्रा फाउंडेशन,
जहानाबाद, बिहार।

विषय: अध्यक्ष पद से त्यागपत्र।

महोदय,

मैं, **सतीश कुमार**, पिता – स्व० सुरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी – लखीसराय, पोस्ट – मालथी, थाना – घोसी, जिला – जहानाबाद (बिहार), **मदर चंद्रा फाउंडेशन** में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं अपने पद की जिम्मेदारियों को उचित रूप से निभा पाने में असमर्थ हूँ।

अतः मैं दिनांक **17 जून 2025** से अध्यक्ष पद से अपना **त्यागपत्र** सौंपता हूँ। साथ ही, मैं यह घोषणा करता हूँ कि अध्यक्ष पद की समस्त जिम्मेदारियाँ एवं दायित्व **श्री रौशन कुमार**, पिता – अजीत शर्मा, ग्राम – सरेया, पोस्ट – सिकंदरपुर, थाना – शकुराबाद, जिला – जहानाबाद (बिहार) को सौंप रहा हूँ। कृपया उनके नाम पर अध्यक्ष पद की पुष्टि एवं मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

त्यागपत्र के पश्चात मेरा **मदर चंद्रा फाउंडेशन** से कोई प्रशासनिक संबंध नहीं रहेगा। मैं संस्था को दिए गए सहयोग व अवसर के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ तथा संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

Satish Kumar

सतीश कुमार
पता – लखीसराय, पोस्ट – मालथी, थाना – घोसी, जिला – जहानाबाद, बिहार
मोबाइल: - 9939089088

TD:- 2017 Reg No. S000465

MOTHER CHANDRA FOUNDATION

(Under act 21, 1860)
Loknagar (Kuttiya par) Mallachak
P.O+PS- JEHANABAD (BIHAR) PIN-804408

Ref no: MCF/MF/Admin/99/06/25-26 Date: 20 जून 25

आज दिनांक 20 जून 2025 को मदर चंद्रा फाउंडेशन की आम सभा की बैठक बुलाई गई, जो संस्था के सचिव श्री सरोज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

इस बैठक में संस्था के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:- श्री सतीश कुमार (अध्यक्ष) एवं श्री संजय कुमार (कोषाध्यक्ष) श्रीमती चंदा कुमारी एवं श्रीमती गार्गी कुमारी, श्रीमती रंजना शर्मा एवं श्री सनोज कुमार

प्रस्ताव का विवरण:

बैठक में संस्था के स्थापित एवं मानक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री सतीश कुमार एवं सचिव श्री सरोज कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य कारणों से अपने-अपने पदों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

उनकी जगह पर संस्था में निम्नलिखित नवीन पदाधिकारी नियुक्त किए गए:

- सचिव: श्री संतोष कुमार
  पिता – श्री सरोज कुमार शर्मा,
  निवासी – वार्ड नं. 18, नया टोला, जहानाबाद।
- अध्यक्ष: श्री रौशन कुमार,
  पिता – श्री अजित शर्मा,
  निवासी – ग्राम सरेया, पो. सिकंदरपुर, थाना – सकुराबाद, जिला – जहानाबाद।

कार्यभार एवं अधिकार:

दिनांक 20 जून 2025 से संस्था के सभी कार्यों का दायित्व एवं वित्तीय अधिकार नव नियुक्त अध्यक्ष एवं सचिव को सौंपा जाता है।

इन्हें संस्था के सभी बैंक लेनदेन, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

साक्ष्य एवं हस्ताक्षर:

इस प्रस्ताव को प्रमाणित करने हेतु सभी सदस्यगण द्वारा हस्ताक्षर किए गए:

सरोज कुमार शर्मा

1. रंजना शर्मा
2. सनोज
3. चन्दा
4. गार्गी कुमारी

नव मनोनीत

अध्यक्ष Roushan Kr

सचिव संतोष कुमार शर्मा

पूर्व

Satish Kumar